सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Legal

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 123/2012 दायर दिनाँक 28.05.2012

वादी		प्रतिवादीगण
1. कुशालसिंह पुत्र भगवतसिंह, उम्र—85साल, जाति—राजपूत, निवासी—बगतपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. प्रहलादसिंह पुत्र भगवतसिंह, जाति—राजपूत, निवासी—बगतपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान,

दावा बाबत्
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 53, 188, R.T.Act.

उपस्थितः—

1. पक्षकारान्।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 01.06.2018

शरहद मौजा बगतपुरा तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 222 रकबा 12.00 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 289 रकबा 30.07 बीघा, खसरा नम्बर 320 रकबा 05.19 बीघा तथा खसरा नम्बर 360/45 रकबा 0.01 बीघा के बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादी का वाद दिनाँक 08.06.2017 को प्राथमिक डिक्री सादिर कर विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प—सुद्रासन में पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार डीडवाना ने कोर्ट कैम्प में पत्रांकः 381 दिनाँक 21.02.2018 को विभाजन प्रस्तावित किया। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 123/2012
दायर दिनाँक 28.05.2012, निर्णय दिनाँक 01.06.2018
कुशालसिंह बनाम् प्रहलादसिंह वगैरा।

के द्वारा प्रस्तावित विभाजन क्रमांक 381 दिनाँक 21.02.2018 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा बगतपुरा तहसील डीडवाना के आराजी आराजी खसरा संख्या 222 रकबा 12.00 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 289 रकबा 30.07 बीघा व खसरा नम्बर 320 रकबा 05.19 बीघा तथा खसरा नम्बर 360/45 रकबा 0.01 बीघा, का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 381 दिनाँक 21.02.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 381 दिनाँक 21.02.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
डीडवाना
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–सुद्रासन

निर्णय आज दिनाँक **01.06.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–सुद्रासन

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना

न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प

बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **123/2012** दायर दिनाँक **28.05.2012**

वादी		प्रतिवादीगण
1. कुशालसिंह पुत्र भगवतसिंह, उम्र–85साल, जाति–राजपूत, निवासी–बगतपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. प्रहलादसिंह पुत्र भगवतसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–बगतपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,

दावा बाबत्

बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,

अन्तर्गत धारा– 53, 188, R.T.Act.

दिनाँक **01.06.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **उपस्थित पक्षकारान्** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा बगतपुरा तहसील डीडवाना के आराजी आराजी खसरा संख्या 222 रकबा 12.00 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 289 रकबा 30.07 बीघा व खसरा नम्बर 320 रकबा 05.19 बीघा तथा खसरा नम्बर 360/45 रकबा 0.01 बीघा, का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 381 दिनाँक 21.02.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 381 दिनाँक 21.02.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत.......... ....–...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **01.06.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर

डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना

कोर्ट कैम्प–सुद्रासन

Scanned by CamScanner

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–सुद्रासन

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः—123—2012 / रीडर / 2018 / दिनाँक

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 53, 188, R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. कुशालसिंह पुत्र भगवतसिंह, उम्र—85साल, जाति—राजपूत, निवासी—बगतपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. प्रहलादसिंह पुत्र भगवतसिंह, जाति—राजपूत, निवासी—बगतपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान,

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प—सुद्रासन

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2012/123** दायर दिनांक **28.05.2012**

वादी		प्रतिवादीगण
1. कुशालसिंह पुत्र भगवतसिंह, उम्र–85साल, जाति–राजपूत, निवासी–बगतपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. प्रहलादसिंह पुत्र भगवतसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–बगतपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 188 R.T. Act.

उपस्थितः–

1. पक्षकारान् उपस्थित।

–:: प्राथमिक निर्णय ::–

दिनांक **08.06.2017**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादी संख्या 01 सगे भाई है जिनकी पैतृक सम्पत्ति की भूमि वाकै सरहद बगतपुरा में खेत खसरा नम्बर 222 रकबा 12 बीघा, खसरा नम्बर 289 रकबा 30.07 बीघा, खसरा नम्बर 320 रकबा 05.19 बीघा व खसरा नम्बर 360/45 रकबा 01 बिस्वा कुल रकबा 48.07 बीघा है जिसमें वादी का 01/02 हिस्सा व प्रतिवादी प्रहलादसिंह 01/02 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खतौनी नकल पेश है। खसरा नम्बर 360/45 रकबा 01 बिस्वा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के अन्य बाड़े में आने–जाने हेतु सामलाती भूमि है।

विवादग्रस्त भूमि में 01/02 वादी के पास व 01/02 भाग प्रतिवादी संख्या 01 के पास कदीम से है मगर उक्त भूमि का विधिवत् बन्टवारा आज तक नहीं हुआ है। वादी खसरा नम्बर 289 रकबा 30.07 बीघा में से 18.03 बीघा पूर्वी तरफ की भूमि पर अरसे–दराज से काश्त करता है तथा प्रतिवादी संख्या 01 खसरा नम्बर 222 रकबा 12 बीघा में से

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

01/02 हिस्सा यानि 06 बीघा पश्चिमी तरफ व खसरा नम्बर 289 रकबा 30.07 बीघा में से 12.04 बीघा पश्चिमी तरफ एवं खसरा नम्बर 320 रकबा 05.19 बीघा सम्पूर्ण पर करते आये है। खसरा नम्बर 222 में से वादी के खेत में आने–जाने का रास्ता उत्तरी तरफ से एवं खसरा नम्बर 289 में वादी के हिस्से में आने–जाने का गाड़ी रास्ता उत्तरी सीमा के पास में है। वादी ने उक्त बन्टवारा को वाद के साथ पेश किया है जो नजरीनक्शा अनुसूची "अ" दर्शाया गया है जो दावा का अहम हिस्सा है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य अरसे–दराज पहले बन्ट हो गया एवं मौके पर सींवें–नींवें भी कायम है, मगर राजस्व रिकॉर्ड में सामलाती खातेदारी की भूमि होने से हर वक्त काश्त बाबत् ऋण आदि की सुविधा प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए वादी को विधिवत् बन्टवारा का दावा पेश करना लाजमी आया है।

वादी दिनांक 20.05.2012 को अपने खेत की देखभाल करने व खाद डालने अपने हिस्से में गया तो प्रतिवादी संख्या 01 आमादा–फिसाद हुआ व वादी को ऐलानियां धमकी दी कि इस वर्ष होने पर काश्त करने नहीं देगा व बिना बन्टवारा करवाये वादग्रस्त भूमि का बैचाण कर देगा। यदि वादी को उसके हिस्से से बेदखल कर दिया तो वादी को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति नकदी से सम्भव नहीं होगी। इसलिए वादी को स्थाई निषेधाज्ञा दावा करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी है कि,

सरहद बगतपुरा में खेत खसरा नम्बर 222 रकबा 12 बीघा, खसरा नम्बर 289 रकबा 30.07 बीघा व खसरा नम्बर 320 रकबा 05.19 बीघा कुल रकबा 48.06 बीघा का विधिवत् बन्टवारा का वादी का 01/02 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में नजरीनक्शा के अनुसार किया जावे व वादी की भूमि में आने–जाने का रास्ता भी बन्टवारा में घोषित किया जावे। वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 02 को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 01 प्रहलादसिंह की ओर से जवाब पेश हुआ।

प्रकरण, न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प पीड़वा में पेश हुआ। पक्षकारान् उपस्थित। पक्षकारान् को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

पक्षकारान् वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाने पर अपनी–अपनी सहमति पेश करते हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्य के अनुसार सरहद बगतपुरा के विवादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 01 सहखातेदार हैं तथा विधिवत् बन्टवारा करवाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पक्षकारान् सहखातेदार होने के कारण बन्टवारा करवाने के कानूनन् हकदार हैं।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2012/123
दायर दिनांक 28.05.2012, प्राथमिक निर्णय दिनांक 08.06.2017
कुशालसिंह बनाम् प्रहलादसिंह, वगैरा।

अतः वादीा का वाद प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा प्राथमिक डिक्री सादिर कर सरहद बगतपुरा के खसरा नम्बर 222 रकबा 12 बीघा, खसरा नम्बर 289 रकबा 30.07 बीघा, खसरा नम्बर 320 रकबा 05.19 बीघा तथा खसरा नम्बर 360/45 रकबा 0.01 बीघा का वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से की भूमि में आने–जाने हेतु, संयुक्त रूप से रास्ते की भूमि उपलब्ध करवाते हुए, दो प्रतियों में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर, न्यायालय में पेश किया जावे।

सहायक कलेक्टर
(उत्तमसिंह शेखावत)
डीडवाना (नागौर)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोट कैम्प–पीड़वा

प्राथमिक निर्णय आज दिनांक **08.06.2017** को कोर्ट कैम्प–पीड़वा में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(उत्तमसिंह शेखावत)
डीडवाना (नागौर)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोट कैम्प–पीड़वा

Scanned by CamScanner